

पत्रावली को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-6-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर माण्डल

28/6/23

उपपक्ष उपरिथत पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं । पत्रावली पर है । पदस्थित है । अतः पत्रावली दिनांक 25-7-23 को पेश हो ।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

25/7/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राणी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन वाद तामिल होकर जात हुए जिसे शाप किये गये । विपक्षीगणों के कितनी बार रुक-रुक कर आवामें फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जात है वकील प्राणी की बहस सुनी गयी । वकील प्राणी का शपथ स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाप किये गया । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नभतर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला मीलवाड़ा

